हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग के बाद ब्लास्ट होने से दुकानदार की मौत

ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि दुकान का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिर गया

खेतड़ी, (निसं)। निजामपुर मोड़ पर आधी रात को एक दुकान में पहले आग लगी और इसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में दुकानदार की मौत हो गई। साथ ही दुकान भी पूरी धराशाही हो गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि दुकान का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा। वहीं इसी दुकान के साथ लगती दो और सड़क की दूसरी तरफ स्थित एक अन्य दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। पुलिस ब्लास्ट के कारणों की पड़ताल में लगी हुई है। एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य उठाए है। प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि इस हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इसके बाद दुकान में रखे पेंट व थिनर इत्यादि सामान ने आग पकड़ी और एक साथ आग पकड़ने के बाद ब्लास्ट हो गया।

खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर दुकान में आग लगने के ब्लास्ट हो गया। हादसे के बाद पुलिस ब्लास्ट के कारणों की पड़ताल के लिये पहुंची। वहीं एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य उठाए।

मृतक दुकानदार (फाइल फोटो)

जानकारी के मुताबिक संजय नगर पंचायत के आसलावाली ढाणी के रहने वाले 28 वर्षीय शंकर सैनी ने खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर हार्डवेयर की दुकान कर रखी है। रोजाना की तरह शंकर सैनी बीती रात को करीब पौने दस बजे दुकान को मंगल (बंद) करके पास में ही गोदाम में सोने के लिये चला गया। घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें रात को करीब दो बजे दुकान में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दुकान मालिक शंकर सैनी खुद दुकान को संभालने आया, लेकिन एक बार दुकान संभालकर वापिस चला गया। इसके बाद दुबारा जब वह दुकान के बाहर शटर के पास खड़ा था। तो इसी दौरान ब्लास्ट हुआ। जिससे शंकर सैनी भी 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा और शटर 60 फीट दूर जाकर गिरा। सड़क के दूसरी तरफ एक अन्य दुकान भी इस ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हो गई। इस हार्डवेयर की दुकान के साथ लगती एक दुकान में भी लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही एक ई-मित्र की दुकान भी टूट गई और कंप्यूटर आदि सामान जल गया। शंकर की खुद की दुकान पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शंकर सैनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। वहीं आग के साथ-साथ ब्लास्ट के कारणों को जानने के लिए एफएसएल की विशेषज्ञ टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

- **इसी दुकान के साथ लगती दो और सड़क की दूसरी तरफ स्थित एक अन्य दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया**
- **प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि इस हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इसके बाद दुकान में रखे पेंट व थिनर आदि सामान ने आग पकड़ ली**

सीआई कैलाशचंद ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रात को दो बजे दुकान के बाहर एक युवक दिखाई दे रहा है, जो अंधेरा होने के कारण साफ नहीं दिख रहा। हादसे की स्थिति को देखकर यही संभावना है कि वह युवक मृतक शंकर सैनी ही था, लेकिन दुकान में सिलेंडर जैसी कोई चीज नहीं थी। जिसके फटने से यह हादसा हुआ है। शेष जांच जारी है। घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार सुनील मील भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लेकर उचित कार्रवाई की बात कही है।

बजरी से भरे ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की।

निवाई, (निसं)। गांव गोविंदपुरा मौजा की थूणी की एक महिला की ट्रेलर की टक्कर से मौत हो गई, जिससे गांव में कोहराम मच गया और शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा व थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा मय जाब्ते के साथ घटनास्थल स्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क मार्ग पर जाम लग गया।

थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि देव उठनी एकादशी पर देवराज की भतीजी की शादी है। जिसको लेकर देवराज अपनी पत्नी अनिता गुर्जर (30) व अपनी भाभी के साथ शादी का कार्ड देने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर निवाई बाईपास पर आया था। उसने बाइक को खड़ी कर दी और सड़क के दूसरी ओर रिश्तेदार के यहां कार्ड देकर तीनों वापस सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान टोंक की ओर से तेज गति से आ रहे बजरी से भरे ट्रेलर ने अनिता के टक्कर मार दी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हाईवे एंबुलेंस की मदद से उप जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया है।

कुंड में डूबने से युवक की मौत : निवाई में कुंड में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। थानाधिकारी रामजीलाल ने बताया कि मुकेश (30) पुत्र बजरंग लाल निवासी जमात हेयरकट करवाकर बाहरला कुंड में नहाने गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कुंड के पानी में डूब गया। उसको तैरना नहीं आता था। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति नहाने के लिए कुंड पर पहुंचा तो उसने एक युवक के शव को कुंड में तैरता हुआ देखा। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कुंड से बाहर निकालकर उप जिला अस्पताल में लेकर गई, जहां पुलिस ने पंचनामा तैयार करके शव का पोस्टमार्टम करवाया

युवक ने आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निसं)। कोतवाली थानान्तर्गत शहर की न्यू कॉलोनी में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाने के एएसआई ने बताया कि डूंगरपुर शहर की न्यू कॉलोनी निवासी राकेश डेंबला ने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोसी ने बुधवार सुबह उसे बताया कि उसके घर की खिड़की खुली हुई है और उसका भाई चंद्रेश डेंबला फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर परिजन कमरे में पहुंचे तो देखा कि कमरे के पंखे के कुंदे पर चुन्नी से चंद्रेश का शव लटका हुआ है। परिजनों ने उसे फंदे से नीचे उतारकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अपराधियों को फॉलो करने वाले आठ बदमाश गिरफ्तार

सीकर, (निसं)। सीकर पुलिस ने विशेष धरपकड़ अभियान चलाकर आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पुलिस की 4 स्पेशल टीमों ने दो दिन तक लगातार कार्रवाई की। कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को फॉलो करने वाले आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीकर पुलिस की गिरफ्त में आए 8 में से 7 अपराधियों पर विभिन्न पुलिस थानों में 32 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पुलिस के सघन धरपकड़ अभियान के दौरान करीब 14 जगह पर दबिश देकर अनेक लोगों से कड़ी पूछताछ करते हुए आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सात आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ मारपीट, आर्म्स एक्ट, कॉपीराइट का उल्लंघन करने, लूटपाट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए डीएसपी लाल सिंह के नेतृत्व में चार थानेदारों कोतवाली सीआई सुनील कुमार जांगिड़, दादिया थानाधिकारी बुद्धि प्रसाद, उद्योगनगर सीआई मनोज कुमार भाटीवाड़ और गोकुलपुरा सीआई प्रीति बेनीवाल की टीमें गठित की। आरोपियों में अजीतपुरा (सीकर) निवासी सुमित कुमार, अजीतपुरा सीकर निवासी प्रशांत धींवा, तारपुरा सीकर निवासी विकास काजला, लक्ष्मण का बास, दौलतपुरा सीकर निवासी सुखवीर लांबा, श्योराण का बास, नरोदड़ा सीकर निवासी अनिल श्योराण, मंडीवालों की ढाणी, गोठड़ा भुकरान सीकर निवासी जितेंद्र कुमार और बेरी सीकर निवासी निखिल कुमार को गिरफ्तार शामिल हैं।

सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

ब्यावर, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में जैतारण थानाधिकारी मय टीम द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर गैंगरेप करने के दो आरोपियों को 72 घण्टे में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि 26 अक्टूबर को परिवादी ने पुलिस थाना जैतारण पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी 15 वर्षीय दोहिती को 3-4 युवक बहलाकर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारम्भ की गई। नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप की घटना को गंभीरता से लेते हुए वृत्त स्तर पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया जाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम द्वारा संभावित स्थानों पर दबिशे दी जाकर घटना में शामिल दो आरोपियों को डिटेन किया जाकर पूछताछ करने पर राजूराम सीरवी पुत्र भीयाराम एवं दिनेश पुत्र प्रभुराम जाट ने उक्त कुकृत्य करना स्वीकार किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

प्राइवेट डीएलएड कॉलेज की जांच करने पहुंचे शिक्षा निदेशक जाट

बीकानेर, (निसं)। माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बीकानेर के घड़सीसर गांव में स्थित प्राइवेट राजस्थान टीटी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितता सामने आई है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। निदेशक ने शहर के आसपास स्थित कुछ स्कूलों का भी निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं सही मिली। जानकारी के अनुसार राजस्थान टीटी कॉलेज, घडसीसर में डीएलएड विद्यार्थियों के रिकार्ड की जांच की गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई।

निदेशक जाट ने बताया कि जिन लेक्चरर का नाम रजिस्टर में बताया गया, वो मौके पर नहीं थी। उपस्थिति रजिस्टर को लेकर जांच की जा सकती है। इस संबंध में निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश किए। निदेशक जाट ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल उदयरामसर, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल घड़सीसर का भी अवलोकन किया। इस दौरान निदेशक ने विद्यालयों में रंग-रोगन का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने, स्वच्छता एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने, पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा मेगा पीटीएम की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में पोषाहार एवं दूध के स्टॉक की जांच की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

- **जांच के दौरान कई तरह की अनियमितता सामने आई है, जिसकी जांच करवाई**

निदेशक ने द्वितीय परख की उत्तर पुस्तिकाओं की समय पर जांच कर अंक शाला दर्पण पर अपलोड करने एवं नियमित रूप से गृहकार्य जांच करने के लिए निर्देशित किया। अवलोकन के दौरान निदेशक के साथ एडीपीसी बीकानेर कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं सहायक निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय के जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या के मामले में नाबालिग डिटेन

डूंगरपुर, (निसं)। पुलिस ने एक वृद्ध व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। यह घटना 22 अक्टूबर को डूंगरपुर जिले के भीलवा पंचेला गांव में हुई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद इस मामले का खुलासा किया।

चौरासी थाना पुलिस के अनुसार भीलवा पंचेला निवासी गोविंद भणात मीणा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 22 अक्टूबर की शाम लगभग 7.30 बजे वह अपने दादा जीवा भणात के साथ घर जा रहे थे। विजयपाल भणात के घर के पास सड़क पर गोविंद मोटरसाइकिल पर बैठे थे और उनके दादा जीवाजी भी बैठने वाले थे। तभी भीलवा पंचेला की ओर से एक मोटरसाइकिल पर एक बालक अपने दो अन्य साथियों के साथ आया। मोटरसाइकिल से उतरकर उस बालक ने अपने हाथ में मौजूद धारदार चाकू से जीवाजी के पेट में वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गया। परिजन जीवाजी को इलाज के लिए डूंगरपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी रमेश कटारा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और एमओबी मोबाइल ऑफेंस ब्यूरो, टीम से गहन जांच करवाई। जांच के दौरान, पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में बालक ने बताया कि 22 अक्टूबर की शाम लगभग 7.30 बजे वह शराब लेने जा रहा था। रास्ते में जीवा भणात और कुछ अन्य लोगों ने उसे छपरी कहकर बुलाया और उसके साथ हाथापाई व गाली-गलौज की। इस बात से गुस्सा होकर उसने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और भीड़ पर लहराया। बाद में उसे पता चला कि चाकू जीवा भणात को लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध कर बाल संप्रेषण गृह डूंगरपुर भेज दिया है।

मनोहरपुर बस हादसा : पीलीभीत से काम की तलाश में आए मजदूरों के सपने बिखरे

मनोहरपुर, (निसं)। थाना क्षेत्र के टोडी गांव में मंगलवार को हुए स्लीपर कोच बस हादसे ने कई घरों के सपनों को राख कर दिया। उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले से रोज़ी-रोटी की तलाश में निकले मजदूरों का यह सफर मनोहरपुर पहुंचने से पहले ही मौत की मंज़िल में बदल गया। हादसे में बाप-बेटी की मौत और छह मजदूरों के गंभीर रूप से झुलसने से पूरा इलाका गमगीन है। मंगलवार को जब उनके साथी मजदूरों ने घटना का मंजर याद किया, तो आंखों से आंसू रुक नहीं पाए।

इस दौरान शफीक अहमद ने बताया कि उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। घायलों में शामिल मजदूर नफीस अहमद ने बताया कि वे अपने गांव पीलीभीत से 77 मजदूरों के साथ ईंट भट्टे पर काम करने आ रहे थे। हमने सोचा था मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ पैसे जोड़कर गांव में मकान बनाएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया।

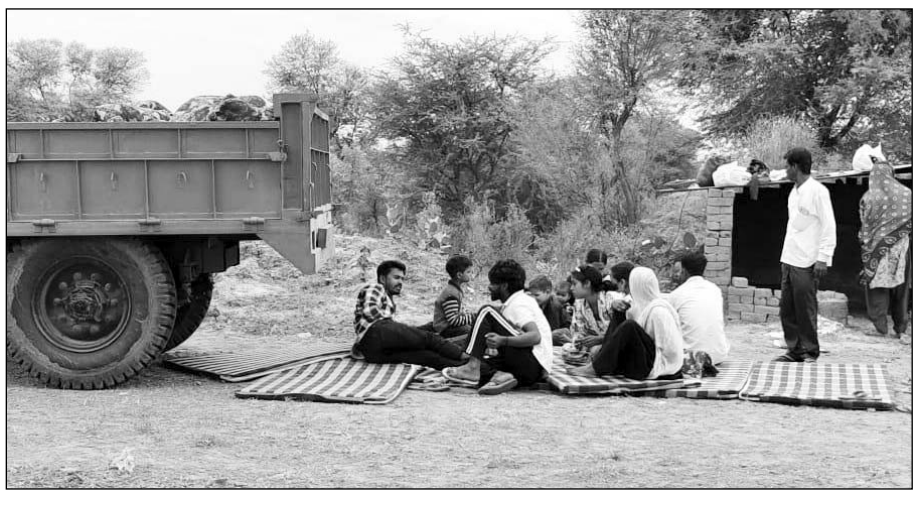

मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोडी गांव में हुये बस हादसे के बाद मजदूर डरे-सहमे हैं।

हादसे में मारे गए व्यक्ति की पत्नी जेबुन निशा और छोटे बच्चे का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि वह बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने निकला था, पर अब वह सपना अधूरा सा रह गया।

- **स्लीपर बस हादसे में बाप-बेटी की मौत से गांव में मातम पसरा**

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस की छत पर बंधी मोटरसाइकिल 11 हजार केवी हाईटेंशन लाइन से छुई, बस में करंट दौड़ गया। कुछ सेकंड में आग लग गई और तीन सिलेंडर धमाके के साथ फट गए। मजदूरों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़डकर जान बचाई, लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए। हादसे की खबर जब पीलीभीत के गांवों तक पहुंची, तो वहां कोहराम मच गया। परिजन पूरे दिन रोते-बिलखते रहे। कई परिवारों ने कहा कि जिस रोटी की तलाश में गए थे, वही रोटी अब जहर बन गई।

मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका श्रीगंगानगर पहुंची

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले की रहने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया-2025 मणिका विश्वकर्मा 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में मिस यूनिवर्स-2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के नोंथाबुरी स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होगी। मणिका इन दिनों श्रीगंगानगर स्थित अपने घर आई हुई है। मणिका ने कहा कि मेरा शहर और परिवार ही मेरी ताकत है। मणिका विश्वकर्मा अब 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। माणिका इन दिनों अपने घर श्रीगंगानगर में परिवार के साथ समय बिता रही हैं। इसके साथ ही वह विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं। मणिका की तैयारी का जुनून ऐसा कि हर पल विश्व विजेता बनने का सपना संजोए हैं। मणिका को लायंस क्लब श्रीगंगानगर ने घर पर पहुंचकर सम्मान दिया। क्लब के पदाधिकारियों ने उन्हें शाल ओढ़ाई, स्मृति चिन्ह भेंट किया।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड अजमेर

राजकाज क्र. :- 18480081 दिनांक :- 27/10/2025

बिड आमंत्रण सूचना संख्या 08/2025-26

कृ.उ.म.स. अजमेर (फल व सब्जी) में विभिन्न निर्माण कार्य पैकेज (एम.डी.एफ), उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय के मरम्मत कार्य/पैकेज कार्य किशनगढ-अजमेर, सरवाड़, डीडवाना-जायल एवं मेडता सिटी लागत राशि क्रमशः रू. 559.08, 93.52, 16.37, 18.81 एवं 12.12 लाख की ऑन-लाईन बिड् ई- प्रोक्यूरमेन्ट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से दिनांक 10.11.2025/19.11.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट http://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb एवं sppp.raj.nic.in (UBN No. AGM2526WLOB00668 To 672) पर भी दिनांक 31.10.2025 से देखा जा सकता है।

राज.संवाद/सी/25/12834 अधिशाषी अभियंता

राजस्थान सरकार

कार्यालय-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करौली

मण्डरायल रोड, करौली, राजस्थान (322241)

Email ID- gmckarauli@gmail.com Telephone No. 07464-294340

क्रमांक-जी.एम.सी./ई-निविदा/करौली/2025/1395 दिनांक-17.10.2025

NIB No. 03/2025-26)

Sealed Single Stage Two envelopes and unconditional online Bids for Rate contract for One year to provide "Skilled And Highly skilled manpower for Government Medical College, Karauli are invited from interested bidders upto 06.11.2025 at 04.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 240 lakh.

UBN NO. MES2526A0116 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

DIPR/C/15727/2025 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करौली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION BEAWAR

NIB NO. PWD2526A3938-PWD2526A3945

Notice Inviting Bid No. 15/2025-26

Bids for 08 No. of Works are invited from interested bidders upto 11.00 PM 10 November 2025. Other particular of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the State, and DIPR departmental website. The approximate value of the procurement is Rs.429.65 Lacs.

S No.	NIB NO	UBIN NO	Amount (Lac)
1	PWD2526A3938	PWD2526WSOB15142	11256000
2	PWD2526A3939	PWD2526WSOB15143	19050000
3	PWD2526A3940	PWD2526WSOB15144	9345000
4	PWD2526A3941	PWD2526WSOB15157	755000
5	PWD2526A3942	PWD2526WSOB15173	969000
6	PWD2526A3943	PWD2526WSOB15174	570000
7	PWD2526A3944	PWD2526WSOB15175	202000
8	PWD2526A3945	PWD2526WSOB15182	848000

(Khemaram)

DIPR/C/15774/2025 Executive Engineer, PWD, Division Beawar

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर

पी.एच.ई.डी कैम्पस इण्डस्ट्रीयल एरिया के.जी. कॉम्पलेक्स के पास, रानी बाजार, बीकानेर (334001)

क्रमांक-6181-90 **Notice Inviting Bid- 103 to 115/2025-26** दिनांक-17.10.2025

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.11.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajasthan.nic.in & "http://eproc.rajasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 451.58 Lacs.

NIT	103	104	105	106	107	108	109
UBN	PHE2526 WSOB 01819	PHE2526 WSOB 07821	PHE2526 WSOB 07822	PHE2526 WSOB 07823	PHE2526 WSOB 07824	PHE2526 WSOB 07825	PHE2526 WSOB 07828
NIT	110	111	112	113	114	115	
UBN	PHE2526 WSOB 07829	PHE2526 WSOB 07830	PHE2526 WSOB 07831	PHE2526 WSOB 07832	PHE2526 WSOB 07833	PHE2526 WSOB 07834	

(नरेश कुमार रैगर)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड.II बीकानेर

DIPR/C/15757/2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-26-05066/459 दिनांक-29.10.2025

मॉडल शॉप्स (Model Shops) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2025 दिनांक 29 जनवरी 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार वर्ष 2025-26 हेतु संबंधित जिले में बन्दोबस्त स शेष रही मॉडल शॉप्स की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-वोली आमंत्रित की जाती है-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	06.11.2025	प्रात 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 27.10.2025 प्रात 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्तर्गत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रति मॉडल शॉप का आवेदन शुल्क रूपये 50,000/- निर्धारित है, जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।
4. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा 10,000/- के गुणांक में बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
5. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
6. मॉडल शॉप्स का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
7. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हा जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पान के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी मे भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dyanamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
9. सफल बोलीदाता को धरोहर राशिअग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है क अनुसार जमा करानी होगी।
10. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
11. वर्ष 2025-26 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2026-27, 2027-28, व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
12. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-26 समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
13. मॉडल शॉप के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।

(शिवप्रसाद नकाते)

DIPR/C/15906/2025 आबकारी आयुक्त, राजस्थान